V-190
Cr-J. (E)

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEFURE CODE, 1898

In the Court of Jitendra Rawat Judicial Magistrate First Class Maheshwar

Case No 541 /2022 Complaint or report made on .... Name and address of the complainant शासन द्वारा आबकारी वृत्त / आरक्षी केंद्र महेश्वर।

Name, parentage, caste and address of accused

जीवनसिंह पिता अन्तरसिंह चौहान जाति भीलाला।
उम्र 39 वर्ष निवासी ग्राम आशापुर।

The offence complained of, and date of, its alleged commission-

आपने दिनांक 15.10.22 को समय 17.50 बजे स्थान मकान के पास ग्राम आशापुर। में अपने आधिपत्य में 08 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब शराब को अवैध रूप से अपने आधिपत्य में रखी।

ऐसा करके आपने यह अपराध किया जो कि धारा 34(A) EX Act के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस न्यायालय के संज्ञान के क्षेत्राधिकार में है।

क्या आप अपराध स्वीकार करते हो अथवा प्रतिरक्षा चाहते हो ?

J. Rawat
(जितेन्द्र रावत)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
महेश्वर

The plea of the accused and his examination (if any)

अभियुक्त / अभियुक्तगण की प्ली
अपराध स्वीकार है

J. Rawat
(जितेन्द्र रावत)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
महेश्वर

जीवन

The offence proved, of any, and in case under clause, (d) clause (e) clause (f) or clause (g) of Sub-section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

: : निर्णय : :

// आज दिनांक 19 / 10 / 22 को घोषित //

1\. अभियुक्त/अभियुक्तगण ने प्रकरण में सहित [illegible] किया [illegible] अभियुक्त को धारा 34(A) EX Act [illegible] विशिष्टियां [illegible] कर, सुनाये व समझाये जाने पर [illegible] अपराध किया [illegible] अभियुक्त/गण की स्वीकारोक्ति स्वेच्छा से की जाना प्रतीत होती है।

2\. अभियुक्त/अभियुक्तगण के अपराध की स्वीकारोक्ति के [illegible] परिस्थितियों को देखते हुए धारा 34(A) EX Act के अंतर्गत दोषी ठहराया जाता है अतः अभियुक्त/अभियुक्तगण [illegible] 34(A) EX Act के अपराध में [illegible] सजा एवं रूपये 1000/- (एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड [illegible] जाता है।

3\. अभियुक्त/अभियुक्तगण द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा न करने [illegible] साधारण कारावास की सजा भुगताई जावे।

4\. प्रकरण में जप्तशुदा 08 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब विहित अवधि पश्चात नष्ट की जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

J. Rawat
19/10/22
(जितेन्द्र रावत)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
महेश्वर प.नि.

मेरे उद्बोधन पर अंकित किया गया।

J. Rawat
19/10/22
(जितेन्द्र रावत)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
महेश्वर प.नि.